**भारत सरकार** **लोक सभा**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** **अतारांकित प्रश्न सं. 3480**

**वाणिज्य विभाग**

**दिनांक 22 मार्च, 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए**

**जैविक चाय का निर्यात**

3480. श्रीमती मंजुलता मंडलः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्री जी.सेल्वम :
डॉ. डी.एन.वी सेंथिलकुमार एस.:
श्री धनुष एम. कुमारः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्री सी.एन. अन्नादुरईः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश से जैविक चाय के निर्यात को बढ़ावा देने में विफल रही है, हालांकि देश में इसकी काफी संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कुल कितनी जैविक चाय निर्यात की गई और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या कोविड-19 महामारी के पश्चात् जैविक चाय का निर्यात प्रभावित हुआ है और यदि हां, तो जैविक चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने जैविक चाय के कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या चाय बोर्ड ने प्रमाणन की सुविधा देकर असम में जैविक चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(छ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान असम के चाय किसानों/चाय बागानों को कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं और जैविक चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

**उत्तर**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) से (घ) : जी नहीं। मूल्य के संदर्भ में जैविक चाय का निर्यात 2019-20 में 49.71 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2021-22 में 54.54 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है। जैविक चाय के निर्यात संवर्धन के लिए, चाय बोर्ड जैविक उत्पादों को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी और क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करने जैसी प्रोत्साहन पहल करता है।

पिछले तीन वर्षों जिसमें कोविड-19 महामारी की अवधि शामिल है, और चालू वर्ष के दौरान निर्यात की गई जैविक चाय का विवरण, निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

| वर्ष | मात्रा (हजार किग्रा. में) | मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में) |
|---|---|---|
| 2019-20 | 6210.89 | 49.71 |
| 2020-21 | 6164.24 | 50.75 |
| 2021-22 | 6060.46 | 54.54 |
| 2022-23 (अप्रैल-दिसंबर)* | 4206.98 | 38.05 |

स्रोतः टी बोर्ड/एपीडा

(ङ) से (छ): सरकार ने असम सहित देश में जैविक चाय की खेती के संवर्धन और विकास को उचित प्राथमिकता दी है। भारत सरकार, चाय बोर्ड के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, चाय विकास और संवर्धन योजना के तहत पारंपरिक से जैविक खेती में रूपांतरण, जैविक कृषि इनपुटों और बागान एवं निर्माण इकाइयों को जैविक प्रमाणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 (फरवरी 2023 तक) के दौरान जैविक चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए दी गई राज्य-वार वित्तीय सहायता अधोलिखित है:

| राज्य | वित्तीय सहायता (लाख रुपये) |
|---|---|
| असम | 95.01 |
| त्रिपुरा | 2.33 |
| नागालैंड | 38.8 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0.20 |
| मेघालय | 0.25 |
| सिक्किम | 21.03 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.43 |
| तमिलनाडु | 0.12 |
| केरल | 0.55 |
| कुल | 158.72 |

स्रोतः टी बोर्ड

जैविक चाय की खेती के लिए अलग से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान असम के किसानों/चाय बागानों को चाय की खेती के लिए चाय बोर्ड द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

| वर्ष | जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या |
|---|---|
| 2019-20 | 402 |
| 2020-21 | 310 |
| 2021-22 | 613 |
| 2022-2023 (17.03.2023 तक) | 396 |

स्रोत :टी बोर्ड

इसी अवधि के दौरान, चाय बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त 30 लाभार्थियों को चाय की खेती के लिए जैविक प्रमाणन दिया गया।

********